

Research Article

भिक्षु-संघ में वैचारिक मतभेद और प्रारम्भिक बौद्ध संगीतियाँ

अनीता

पी.एच.डी. शोद्यार्थी, बौद्ध विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय।

DOI:

I N F O**E-mail Id:**

medhankar.bsp@gmail.com

Orcid Id:<https://orcid.org/0000-0003-0461-6956>

Date of Submission: 2020-04-11

Date of Acceptance: 2020-05-02

भगवान बुद्ध ने अपने सभी उपदेश मौखिक ही दिये। भगवान बुद्ध के सभी शिष्य उन उपदेशों को 'स्मृति' में ही सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते थे। भिक्षु-गण बुद्ध उपदेशों को कंठस्थ कर याद कर लेते थे। इस बात के अनेक प्रमाण स्वयं पालि तिपिटक में ही मिलते हैं। बुद्धत्व-प्राप्ति उपरान्त अपने जीवन के पैंतालीस वर्षों तक चारिका कर भगवान ने जितने भी उपदेश दिये, भिक्षु-संघ ने भगवान बुद्ध के उन उपदेशों को अपनी 'स्मृति' (ध्यान या याद) में ही सुरक्षित रखा और प्रथम बौद्ध संगीति में उनका 'संगायन' किया। संगायन का अर्थ है, साथ-साथ उच्चारण करना या 'गायन' करना। अतः ऐसी महासभा या महासम्मेलन जिसमें बुद्ध वचनो का संगायन किया गया हो, उसे 'संगीति' कहते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने बौद्ध संगीति को अंग्रेजी भाषा में 'बुद्धिष्ट काउन्सिल' (Buddhist Council) की संज्ञा दी है। जिसका हिन्दी शब्दार्थ 'बौद्ध परिषद' है। अतः ये संगीतियाँ विश्व के बौद्धों के महासम्मेलन, महासभा या महान परिषदें हैं जिनमें भगवान बुद्ध के धम्म का संगायन, संग्रहण व लेखन हुआ है।¹

तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने अपने अन्तिम उपदेश में आयुष्मान आनन्द को यही कहा था—“आनन्द! मेरे न रहने पर धम्म और विनय ही तुम्हारे शास्ता होंगे।” अर्थात् तथागत ने अपने उत्तराधिकार में धम्म (बुद्ध उपदेश व सूत्र) और विनय (संघ के आचार सम्बन्धी विनय) को ही प्रतिष्ठित किया। परन्तु बुद्ध के परिनिर्वाण के तुरन्त बाद सुभद² नामक एक वृद्ध भिक्षु के द्वारा विनय के नियमों के उलंघन की आशंका उत्पन्न हुई और अर्हत-थेर महाकाश्यप ने संगीति बुलाई। जिसे प्रथम संगीति के नाम से जाना जाता है। इस संगीति में धम्म और विनय का संगायन हुआ। 100 वर्षों के बाद विनय के नियमों को लेकर पुनः भिक्षु-संघ में विवाद हुआ, उसके निराकरण-स्वरूप वैशाली में दूसरी संगीति का आयोजन हुआ। तीसरी बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई। भिक्षु-संघ में हुए विभेद के कारण ही तीसरी बौद्ध संगीति हुई। चौथी संगीति सिंगल-देश श्रीलंका में हुई। जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि चौथी संगीति सम्राट कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुण्डलवन में हुई। पांचवी और छठवीं संगीति आधुनिक काल में वर्मा देश में हुई। इन प्रमुख छः बौद्ध संगीतियों ने ही भगवान बुद्ध के धम्म का संगायन, संग्रहण और संरक्षण किया। बौद्ध धर्म के इतिहास में अभी तक हुई इन प्रमुख छः बौद्ध संगीतियों में से प्रारम्भिक तीन संगीतियाँ भिक्षु-संघ में हुए वैचारिक विभेद के कारण हुईं। इस शोध-पत्र में यह बात सुस्पष्ट हो जायेगी।

¹उपाध्याय, भरत सिंह, पालि साहित्य का इतिहास, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 2000 ई.

पृ-113-114

²संगीतिनिदानं, पंचसत्तिकखन्धकं, विनयपिटकपालि, विपश्यना विशोधन विन्यास, इगतपुरी, महाराष्ट्र

प्रथम बौद्ध संगीति

पालि विनय-पिटक के महावग्ग में वर्णन प्राप्त होता है कि थेर भिक्षु महाकाश्यप बुद्ध के परिनिर्वाण के समय वहाँ उपस्थित नहीं थे। वे पावा और कुशीनगर की बीच रास्ते में थे, और उनके साथ पाँच सौ भिक्षु भी थे। जब महाकाश्यप पाँच सौ भिक्षुओं सहित मार्ग से चलकर एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे तो उसी समय आजीवक पंथ का एक साधू हाथ में मन्दार-पुष्प (अन्तिम संस्कार के लिए प्रयोग किए गये पुष्प) लिए हुए आ रहा था। महाकाश्यप ने उस आजीवक से बुद्ध के बारे में कुसल-क्षेम पूँछा, तब उस आजीवक ने बताया कि आज सप्ताह हुआ, श्रमण गौतम परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। मैंने यह मन्दार पुष्प वहीं से लिया है। यह सुनकर उन भिक्षुओं में से 'सुभद' नाम का एक बूढ़ा भिक्षु बोला— "आयुष्मानों! मत शोक करो! मत विलाप करो! हम उस महाश्रमण से अच्छी तरह मुक्त हो गये हैं। वह हमें सदा ही यह कह कर पीड़ित किया करता था, 'यह तुम्हें विहित है, यह तुम्हें विहित नहीं है। अब हम जो चाहेंगे, सो करेंगे। जो नहीं चाहेंगे, सो नहीं करेंगे।'³ सुभद के इस कथन को सुनकर सभी अर्हत भिक्षु चिन्तित हो उठे और थेर महाकाश्यप ने इस प्रकार कहा— "आयुष्मानों! आज हमारे सामने अधर्म बढ़ रहा है, धर्म का ह्रास हो रहा है। अ-विनय बढ़ रहा है, विनय का ह्रास हो रहा है। आओ आयुष्मानों हम धम्म और विनय का संगायन करें।"⁴ इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभा की गयी। यह सभा बुद्ध-परिनिर्वाण के तीसरे मास (श्रावण) समाप्त होने पर और चौथे मास (भाद्रपद) के आरम्भ में हुई। श्रावण मास तैयारी में लगा। यह संगीति 'राजग्रह' में वैभार गिरि पर्वत के उत्तरी पार्श्व में स्थित सप्तपर्णी गुफा के द्वार पर निर्मित एक मण्डप में हुई। इस संगीति में 500 अर्हत भिक्षु सम्मिलित हुए इसलिए इस प्रथम बौद्ध संगीति को 'पंचषटिका'⁵ के नाम से जाना जाता है। इस प्रथम बौद्ध संगीति के प्रबन्धन मे महाराजा अजातशत्रु का योगदान था, उन्होंने ही मण्डप इत्यादि की व्यवस्था करवायी थी।⁶

प्रथम बौद्ध संगीति मे पहले 499 भिक्षु ही सम्मिलित किये गये थे। आनन्द को पहले सम्मिलित नहीं किया गया क्योंकि वे अर्हत नहीं थे और उन पर सात आरोप लगाए गये थे। आनन्द ने संघ के समक्ष आकर उन सात आरोपों का खण्डन किया और उसके लिए क्षमा-याचना भी की। तब भिक्षु संघ ने आनन्द को प्रथम संगीति में सम्मिलित होने की सहमति प्रदान की। आयुष्मान आनन्द उसी रात ध्यान-भावना करते हुए अर्हत हो गये। इस प्रकार प्रथम संगीति में कुल भिक्षुओं की संख्या पांच सौ हुई।⁷

इस प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता आयुष्मान भिक्षु महाकाश्यप ने किया। आयुष्मान महाकाश्यप ने 500 भिक्षुओं के संघ के समक्ष प्रस्ताव रखा— "यदि संघ अनुमति दे तो मैं आयुष्मान उपालि से विनय पूँछूँ।" संघ की अनुमति मिलने पर महाकाश्यप एक-एक विनय पूँछते रहे। आयुष्मान उपालि के द्वारा दिये गये उत्तरों का सम्पूर्ण संघ ने संगायन कर साथ-साथ उच्चारण किया। इस प्रकार आयुष्मान उपालि जो पूर्व में नाई जाति से थे, उनके द्वारा संघ के संविधान विनय का संगायन हुआ। आयुष्मान उपालि द्वारा विनय के नियमों का संगायन करने के उपरान्त आयुष्मान महाकाश्यप ने संघ के समक्ष धम्म (सूत्र) के संगायन के लिए आयुष्मान आनन्द से प्रश्न पूँछने की सहमति प्राप्त की। एक-एक करके महाकाश्यप धम्म के सूत्रों (सूत्रों) या बुद्ध उपदेशों को पूँछते रहे, आयुष्मान आनन्द ने उन सभी का उत्तर दिया और संघ ने उसका संगायन किया। इस प्रकार उपालि द्वारा 'विनय' और आनन्द द्वारा 'धम्म' का संगायन हुआ।

पालि तिपिटक के विनयपिटक और सुत्तपिटक (धम्म) का ही संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में प्राप्त होता है। अभिधम्म पिटक का संकलन या तो प्रथम संगीति में हुआ ही नहीं अथवा सुत्तपिटक जिसे 'धम्म' कहा गया जिसका संगायन आयुष्मान आनन्द द्वारा हुआ, उसी में तीसरा पिटक अभिधम्म भी सम्मिलित रहा होगा।

द्वितीय बौद्ध संगीति

भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 वर्षों बाद वैशाली में दूसरी संगीति हुई। यह संगीति भी विनय के नियमों में मतभेद को लेकर हुई, अर्थात् भिक्षु-संघ में वैचारिक विभेद को लेकर हुई। वैशाली के वज्जि-पुत्तक भिक्षु विनय के दस नियमों की अवहेलना करते थे। जिन्हें विनयपिटक के चुल्लवग्ग में 'दसवत्थूनि' कहा गया है। इन दस नियमों को काकण्डक-पुत्र 'यश' विरोध करते थे। उनकी राय में ये दस बातें विनय-विरुद्ध थीं। उन्हें दस-वत्थूनि के रूप में वर्णित किया गया है। जिन दस बातों के विवाद को हल करने के लिए द्वितीय बौद्ध संगीति करनी पड़ी वे निम्न लिखित हैं।⁸

- एक खाली सींग में भरकर नमक ले जाना अर्थात् खाद्य सामग्री का संग्रह करना।⁹
- जब छाया दो अंगुल चौड़ी हो तब भोजन करना अर्थात् दोपहर के बाद भोजन करना।¹⁰
- एक ही दिन में दूसरे गांव में जाकर भोजन करना अर्थात् अतिभोजन करना।¹¹
- एक ही सीमा में अनेक स्थानों पर उपोसथ विधि करना अर्थात्

³"अलं आवुसो ! मा सोचित्य! मा परिदेवित्थ! सुमुत्ता मयं ते महासमणेन! उपददुता च होम। इदं वो कप्पति, इदं वो न कप्पतीति। इदानी पन मयं यं इच्छिस्साम तं करिस्साम। यं न इच्छिस्साम तं न करिस्साम।"

⁴"पुरे अधम्मो दिप्पाति, धम्मो पटिबाहियति! अविनयो दिप्पति, विनयो पटिबाहियति। छन्द मयं आवुसो धम्मं च विनयं च संगायाम।"

⁵संगीतिनिदानं, पंचसतिकखन्धकं, विनयपिटकपालि, विपश्यना विशोधन विन्यास, इगतपूरी, महाराष्ट्र

⁶विनयपिटक, अनु. राहुल सांकृत्यायन, दि कॉरपोरेट बॉडी ऑफ द बुद्धा एजुकेशन फाउण्डेशन, ताईपेई, ताईवान, 1994, पृ-537

⁷विनयपिटक, अनु. राहुल सांकृत्यायन, दि कॉरपोरेट बॉडी ऑफ द बुद्धा एजुकेशन फाउण्डेशन, ताईपेई, ताईवान, 1994, पृ-537-543

⁸विनयपिटक, अनु. राहुल सांकृत्यायन, दि कॉरपोरेट बॉडी ऑफ द बुद्धा एजुकेशन फाउण्डेशन, ताईपेई, ताईवान, 1994, पृ-544

⁹कप्पति सिंगिलोणकप्पो

¹⁰कप्पति द्वअंगुलकप्पो

¹¹कप्पति गामान्तरकप्पो

बहु-आवासी होना।¹²

- किसी कर्म को करने के बाद उसके लिए अनुमति प्राप्त करना।¹³
- रूढ़ियों को ही शास्त्र मान लेना।¹⁴
- भोजन के बाद छाछ बिना अर्थात् अतिभोजन करना।¹⁵
- ताड़ी पीना अर्थात् मादक पेय लेना।¹⁶
- जिसके किनारे हों, ऐसे कम्बल या रजाई का उपयोग करना।¹⁷
- सोने और चाँदी को स्वीकार करना या उपयोग करना।¹⁸

उपरोक्त दस-वत्थूनि के विवाद के निराकरण के लिए वैषाली में दूसरी संगीति बुलाई गयी जिसमें 700 अर्हत् भिक्षुओं ने भाग लिया। वैषाली के ही अति प्रतिष्ठित अर्हत् थेर सब्बकामी इस द्वितीय संगीति के सभापति नियुक्त किए गये। भिक्षु अजित स्थान-नियन्त्राण बनाए गये। सम्राट अजात शत्रु के वंशज काला-शोक ने इस द्वितीय संगीति की व्यवस्था का भार संभाला। कालाशोक पहले वज्जियों के पक्ष में थे परन्तु बाद में थेर-संघ की बात मान ली।

भिक्षु-संघ ने सभा की कार्यवाही शुरू की परन्तु अधिकरण के विनिष्पन्न (फैसला) करते समय अनर्गल बकवाद उत्पन्न होने लगे, शोर होने लगे, एक भी कथन का अर्थ मालूम नहीं पड़ता था। तब आयुष्मान रेवत सहजाति ने संघ से निवेदन किया कि “यदि संघ को पसन्द हो, तो संघ इस अधिकरण (विवाद) को उद्वाहिका (चुनित समिति) से निराकरण करें।” संघ ने सहमति व्यक्त की। आठ अर्हत् थेरों की समिति गठित की गयी। चार पूर्वी क्षेत्र से और चार पश्चिमी क्षेत्र से। पूर्वी क्षेत्र से आयुष्मानु सर्वकामी, आयुष्मान साढ़, आयुष्मान खुज्जशोभित, आयुष्मान वासभ ग्रामिक। पश्चिमी क्षेत्र से आयुष्मान रेवत, आयुष्मान संभूत साणवासी, आयुष्मान यष, आयुष्मान सुमन चुने गये। समिति के चयन के उपरान्त आयुष्मान रेवत सहजाति ने दश-वत्थूनि पर आयुष्मान सब्बकामी के प्रश्न पूछे। आयुष्मान सब्बकामी ने दस-वत्थूनि को निषिद्ध (विनय-विरुद्ध) घोषित किया। वज्जि के भिक्षुओं का आचरण अधर्मयुक्त घोषित हुआ। इस द्वितीय बौद्ध संगीति में 700 अर्हत् भिक्षु सम्मिलित हुए, इसलिए इसे ‘सप्तशतिका’ के नाम से भी जाना जाता है। कुछ विद्वानों की राय है कि वज्जि के भिक्षुओं ने अपनी अलग संगीति की जिसमें 10,000 भिक्षुओं ने भाग लिया। इस विलग संगीति को उन्होंने महासंगीति का नाम दिया। इस प्रकार बौद्ध भिक्षु-संघ दो भागों में बंट गया। प्रथम जिन्होंने मूल बुद्धवचन को माना, वे थेरवादी या स्थविरवादी कहलाए और जिन्होंने मूल बुद्धवचन में परिवर्तन किया वे महासांघिक कहलाए।

तृतीय बौद्ध संगीति

महान सम्राट अशोक के शासन काल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई।

यह संगीति सम्राट अशोक के निर्देशन व प्रबन्धन में हुई। सम्राट अशोक ने अपने द्वारा निर्मित 84000 विहार व स्तूपों में भिक्षु-संघ के लिये सर्व-साधन मुहैया करवाए। अशोक 60,000 भिक्षुओं को प्रतिदिन भोजनदान देते थे। सम्राट अशोक द्वारा दिये जाने वाले महादान के प्रभाव से भिक्षु-संघ में अधिकांश ऐसे लोगों ने प्रवेश कर लिया, जिन्हें धम्म व विनय से लगाव नहीं था। वे मात्र लाभ-सत्कार प्राप्त करने के लिए भिक्षु-जीवन अपनाए हुए थे। इस प्रकार के लालची व आलसी भिक्षुओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई, जिसके कारण विनय के नियमों की अवहेलना होने लगी। अशोक-काल में बौद्ध-धर्म में विभिन्न मत वाले 18 सम्प्रदाय हो चुके थे। उनमें एकरूपता लाने हेतु यह तीसरी बौद्ध संगीति बुलाई गयी। परिणामतः सम्राट अशोक को अपने गुरु मोग्गलिपुत्त तिस्स की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति करवानी पड़ी। पालि-परम्परा के अनुसार बुद्ध-परिनिर्वाण के 218 वें वर्ष में सम्राट धर्माशोक का राज्याभिषेक हुआ और इसके सत्राहवें वर्ष में अर्थात् बुद्ध-परिनिर्वाण के 235 वें वर्ष में यह तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र (वर्तमान पटना) के अशोकाराम में हुई।¹⁹

सम्राट अशोक ने ‘मोग्गलि-पुत्त तिस्स’ से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के बाद विहारों की समृद्धि बहुत बढ़ गयी। सम्पूर्ण जम्बुद्वीप बौद्धमय हो गया। परन्तु विभिन्न मत वाले भिक्षु अपनी बातें विभिन्न प्रकार से कहते और स्वयं को सच्चा बुद्ध-अनुयायी कहते थे, थेर ‘मोग्गलिपुत्त तिस्स’ को इससे बड़ा दुःख हुआ और वे दुःखी होकर अहोगंगा पर्वत पर चले गये। वहाँ उन्होंने 7 वर्ष तक एकान्तवास किया। संघ में विभिन्न मतों के चलते सात वर्ष तक कोई उपोसथ (उपवास वृत्त) या पवारण (वर्षावासपरान्त सम्मेलन) विधि नहीं हुई। सम्राट अशोक ने धम्म के रक्षार्थ ‘थेर मोग्गलिपुत्त तिस्स’ को मनाने (निवेदन के लिए) हेतु तमाम प्रतिनिधियों को भेजा। बहुत अनुनय-विनय के उपरान्त मोग्गलिपुत्त तिस्स पाटलिपुत्र आए। मोग्गलिपुत्त तिस्स के नेत्रत्व में यह तृतीय बौद्ध संगीति हुई। अनेक प्रान्तों के भिक्षुओं ने इस संगीति में भाग लिया। इस संगीति में 1000 अर्हत् बौद्ध भिक्षुओं को सम्मिलित किया गया। ‘थेर मोग्गलिपुत्त तिस्स’ इस संगीति के सभापति चुने गये। तृतीय बौद्ध संगीति का मुख्य उद्देश्य यह था कि बौद्ध संघ में जो अनेक अ-बौद्ध लोग सम्राट अशोक के दीक्षित होने के बाद घुस गये थे। उनका निष्काशन किया जाय, सच्चे मत का प्रतिपादन कर मूल बुद्ध उपदेशों का प्रकाशन किया जाये। संगीतिक कार्यवाही में यही कार्य किया गया। यह सभा 9 माह तक ‘मोग्गलिपुत्त तिस्स’ के सभापतित्व में चलती रही, तथा बुद्धवचनों का संगायन और पारायण किया गया। मोग्गलिपुत्त तिस्स ने जिनकी अवस्था 72 वर्ष की थी, इसी संगीति में उन्होंने मिथ्यावादी 17 बौद्ध सम्प्रदायों का

¹²कप्पति आवासकप्पो

¹³कप्पति अनुमतिकप्पो

¹⁴कप्पति आचिण्णकप्पो

¹⁵कप्पति अमथितकप्पो

¹⁶कप्पति जलोगिपातुं

¹⁷कप्पति अदसकनिसीदनं

¹⁸कप्पति जातरुपरजतन्ति

¹⁹महावंश, अनु. डा. भदन्त आनंद कौसल्यायन, बुद्धा भूमि प्रकाशन, नागपुर, 2000, पृ-32

¹⁹महावंश, अनु. डा. भदन्त आनंद कौसल्यायन, बुद्धा भूमि प्रकाशन, नागपुर, 2000, पृ-19

निराकरण करते हुए 'कथावत्थु' नामक ग्रन्थ की रचना की, जिसे 'अभिधम्म पिटक' में स्थान मिला, जोकि तिपिटक का तीसरा भाग है।

तृतीय बौद्ध संगीति में जिस सम्प्रदाय को भगवान बुद्ध के धम्म का वास्तविक प्रतिनिधि माना गया वह 'विभज्यवादी' या 'स्थविरवादी सम्प्रदाय' के नास से विख्यात हुआ। स्थविरवाद या थेरवाद का अर्थ है। स्थविरों अर्थात् वृद्ध ज्ञानी पुरुषों और तत्त्व-दर्शियों का मत। बुद्ध के प्रथम शिष्यों के लिए 'स्थविर' शब्द का प्रयोग किया जाता था। स्थविरवादी भिक्षु 'विभज्यवाद' के अनुयायी थे। विभज्यवाद का अर्थ है। विभाग कर, विष्लेषण कर, प्रत्येक वस्तु के अच्छे अंश को अच्छा और बुरे अंश को बुरा बतलाना। विभज्यवाद का एक सूक्ष्म और तात्त्विक अर्थ भी है। इस अर्थ के अनुसार मानसिक और भौतिक जगत की सम्पूर्ण अवस्थाओं का स्कन्ध, आयतन और धातु आदि में विष्लेषण किया जाता है। भगवान बुद्ध ने स्वयं को भी विभज्यवादी कहा है।

तृतीय बौद्ध संगीति के परिणामस्वरूप ही मोग्गलिपुत्त तिष्य की अध्यक्षता एवं महान सम्राट असोक के संरक्षण में विदेशों में भगवान बुद्ध के धम्म के प्रचार व प्रसार की योजना बनायी गयी। बाह्य देशों में धम्म के प्रचार व प्रसार के लिए भिक्षुओं के नौ समूह बनाये गये। जिन भिक्षुओं ने उन समूहों का नेतृत्व किया और जिन बाह्य देशों में बुद्ध धम्म के प्रचार-प्रसार के लिए भेजा गया, उनका वर्णन पालि महावंश व दीपवंश में निम्नवत प्राप्त होता है।²⁰

- स्थविर मज्झन्तिक को गंधार और कश्मीर
- स्थविर महादेव को महिसमण्डल
- स्थविर रक्खित को वनवासी
- स्थविर योनक धम्मरक्खित को अपरान्त
- स्थविर महारक्ति को यवन देश
- स्थविर महाधम्मरक्खित को महाराष्ट्र
- स्थविर सोण एवं उत्तर को सुवर्ण-भूमि (बर्मा)
- स्थविर मज्झिम, सहदेव और मुकुल को हिमवन्त
- स्थविर महामहेन्द्र को तम्बपाणि (श्रीलंका)

इन नौ समूहों में से दो समूह बौद्ध धर्म के इतिहास की दृष्टि से अति महत्वशाली रहे। 7 वाँ सोण व उत्तर का समूह जोकि सुवर्ण भूमि (बर्मा) देश में गया और 9 वाँ समूह जोकि तम्बपाणि (श्रीलंका) में गया। डॉ गोविन्द चन्द्र पाण्डे²¹ और कुछ अन्य इतिहासकारों ने यह सिद्ध किया है कि महावंश में वर्णित सुवर्णभूमि बर्मा देश ही है। जब कि तम्बपाणि शब्द श्रीलंका के लिए ही प्रयोग किया जाता है।

²⁰2010ए कमचंतजउमदज वठिनककीपेजैनकपमेए चमह.173

²¹Journal of Buddhist Studies, Vol. xxxviii, February, 2010, Department of Buddhist Studies, peg-173